A 4/1

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

पील संख्या 7/2021
न्देसिंह पुत्र तुलसाराम जाति जाट निवासी कंवरपुरा उम्र 64 वर्ष तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं।

—— अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार तहसीलदार चिडावा।

—— रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्व निर्णय दिनांक 21.01.2021 न्यायालय तहसीलदार चिडावा उनवानी सरकर बनाम उम्मेदसिंह मुकदमा नं0 25/20 अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

——

उपस्थित:–

1. श्री शीशराम बोला, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय– अभिभाषक रेस्पोडेन्ट की ओर से।

आदेश

दिनांक 25.02.2021

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील तहसीलदार चिडावा के निर्णय दिनांक 21.01.2021 के विरूद्व मय प्रार्थना पत्र स्थगन के प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी की ओर से अपील आवेदन निम्नांकित प्रस्तुत है कि अपीलार्थी ने अपनी कृषि भूमि की सुरक्षा के लिये खसरा नम्बर 26 आम रास्ते की ओर पुख्ता दीवार का निर्माण 8 वर्षो पूर्व किया था जो कि आज दिनांक तक निर्विवाद चला आ रहा है। उक्त रास्ते की दूसरी दिशा में सुरजभान पुत्र धन्नाराम जाति रैगर ने दिनांक 09.12.20 को उक्त रास्ते की भूमि में पुख्ता निर्माण करना शुरु कर दिया जिसकी शिकायत ग्रामवासियो द्वारा करने पर पुलिस ने मौके पर आकर हल्का पटवारी को बुलाया तथा उक्त सुरजभान का काम बन्द करवा दिया था तथा दिनांक 09.12.20 को उक्त सुरजभान ने रात को ही उक्त रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर फिर निर्माण कार्य शुरु कर दिया तो फिर ग्रामवासियो ने प्रतिपक्षी तहसीलदार चिड़ावा को सूचना दी तो दिनांक 10.12.20 को मौके पर पटवारी आया जिसके आने तक उक्त सुरजभान ने रास्ते की जमीन दबाकर करीब 1 से 2 फुट जमीन से उपर दीवार का निर्माण कर लिया तथा उक्त हल्का

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

पारी, गिरदावर आदि के आने के बाद बन्द कर दिया और उसने कहा कि अपीलान्ट ने ता दबा रखा है इसकी दीवार तोड़ दो फिर अतिक्रमण हटा लूंगा। बहुत समझाने के बाद न ही मानने पर हल्का पटवारी व गिरदावर ने नपती कर रिपोर्ट तैयार कर हस्ताक्षर के ये कहने पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। उसके बाद उसने अपने प्रभाव से अपीलार्थी की यह नोटिस दिलवा दिया व अपीलार्थी की कृषि भूमि की सुरक्षा की दीवार लगभग एक ट रास्ते की ओर बताकर अपीलार्थी को यह नोटिस दिया गया जिसकी प्रथम तारीख पेशी नांक 21.12.20 दी गई थी। जिस पर अपलार्थी ने उपस्थित होकर वकील नियुक्त किया था वकील द्वारा जमीन की सीट की नकले मंगवाई थी जिसके लिये अपीलार्थी को दिनांक 5.01.21 दी थी उक्त दिनांक को अपीलार्थी ने उपस्थित न होकर परिवार में मौत होने के कारण अपने वकील को सूचित किया जिस पर आगामी दिनांक जबाब के लिये 21.01.21 में तावली का उक्त अपीलग्रस्त निर्णय पारित कर दिया गया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी यह अपील प्रस्तुत कर रहा है। अधीनस्थ न्यायालय का यह निर्णय विरूद्ध न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो व कानून के होने से प्रथम दृष्टया ही खारीज किये जाने योग्य है क्योकि इस तावली में कानूनी प्रक्रिया की कोई पालना किंचित भर भी नही की गई है। अपलार्थी ने कोई तिक्रमण नहीं कर रखा है अपीलार्थी को राजनैतिक द्वेषता रखने वालो की राय से अपीलार्थी को यह झुठा नोटिस दिलवाया गया है तथा न तो अपीलार्थी की जमीन की नपती ही की गई है तथा ना ही प्रार्थी को यह बताया गया है कि कितने फिट चौड़ा व कितने फुट लम्बा रास्ते में तथाकथित अतिक्रमण है तथा ना ही अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी को कोई जबाब आदि के लिये अवसर ही दिया है इस प्रकार उक्त समस्त गैर कानूनी कार्यवाही पर आधारित उक्त निर्णय दिनांक 21.01.21 निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 21.01.21 में अपीलार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करना लिखा है जो कतई न्यायोचित नहीं है जब उक्त निर्णय दिनांक की आर्डरशीट में स्वयं अधीनस्थ न्यायालय ने ही लिखा है कि पत्रावली पेश हुई। गैर सायल की ओर से अधिवक्ता उपस्थित .....फिर भी उक्त तथ्य अपने निर्णय में लिखकर महान कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय में उक्त निर्णय दिनांक की आर्डरशीट में तो अपीलार्थी व उसके अधीवक्ता को तो जबाब के लिये और अवसर देते हुऐ निर्णय लिया जाकर शामिल पत्रावली का आदेश है फिर बिना ओर तारीख के ही उक्त दिनांक को ही पारित उक्त निर्णय प्रथम दृष्टया ही खारीज होने योग्य है। अपीलार्थी को दिनांक 21.01.21 को जबाब हेतु अवसर दिनांक 25.01.21 दी गई थी जब उक्त दिनांक को अपीलार्थी के अधिवक्ता जबाब नोटिस लेकर गये तो सम्बन्धित लिपिक ने कहा कि आपकी पत्रावली में तो दिनांक 21.01.21 पूर्व की तारीख पेशी पर ही निर्णय कर दिया गया है। अतः अपील अपीलार्थी सावधि उपयुक्त न्याय शुल्क पर पेश कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी का निर्णय दिनांक 21.01.21 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम उम्मेदसिंह मु0नं0 25/20 निरस्त/अपास्त करने की कृपा करे।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि ग्राम कंवरपुरा स्थित भूमि ख0न0 26 रकबा 0.17 है0 किस्म गै0मु0 रास्ते पर अपीलान्ट ने कोई अवैध कब्जा नही किया है। विवादित भूमि ख0न0 26 ख0न0 23 व ख0न0 29 के मध्य रास्ते के रूप मे स्थित है।

कलक्टर झुन्झुनू

A 4/5

र्ड का जो अतिक्रमण डण्डे के रूप मे बताया गया है वह पुराना डण्डा है। फर्द मौका र्ट दिनांक 10.12.2020 के अनुसार विवादित भूमि पर अपीलान्ट का अवैध कब्जा न होकर इस्मान का अवैध कब्जा है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर न्यायालय हसीलदार चिड़ावा का निर्णय दिनांक 21.01.21 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम उम्मेदसिंह न0 25/20 निरस्त/अपास्त करने की कृपा करे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि तिक्रमण की गई भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ते की भूमि है जो राजकीय भूमि है। जिस पर पीलान्ट ने डण्डा बनाकर अतिक्रमण कर रखा है जिसका अपीलान्ट को कोई अधिकार प्राप्त हीं है। वकील अपीलान्ट द्वारा जिस फर्द मौका रिपोर्ट का कथन किया जा रहा है वह दालत मातहत की पत्रावली का हिस्सा नही है। उक्त फर्द मौका रिपोर्ट का अदालत मातहत की आदेशिका मे भी अंकन नही है। अदालत मातहत द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अदालत मातहत द्वारा पूर्ण दस्तावेजों के अवलोकन के उपरांत ही निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट्स की अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को ग्राम कंवरपुरा स्थित भूमि ख0न0 26 रकबा 0.17 है0 किस्म गै0मु0 रास्ते मे से 20 वर्गमीटर का अतिक्रमी माना है। अपीलान्ट की भूमि भी विवादित भूमि से लगती हुई है। वकील अपीलान्ट द्वारा तर्क दिया गया है कि उनके मुवक्किल द्वारा अतिक्रमण नहीं किया गया है बल्कि उनकी खुद की जमीन है। मौके पर नपति करवाकर दिखवालें। विद्वान वकील से सहमत होते हुए उक्त अतिक्रमण की पुनः नपति की जानी उचित है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.01.2021 खारिज किया जाता है तथा निर्णय प्रति इस निर्देश के साथ अदालत मातहत को प्रेषित की जाती है कि अदालत मातहत अपीलान्ट के खेत एवं रास्ते की नपति करें तथा फिर भी अतिक्रमण किया जाना पाया जावे तो अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे। अपील स्वीकार होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
25/02/21